



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

PO-270

KM-30

DEPTT-20

CPB-220

प्रभारी

पूरा किया

सं. 228]  
No. 228]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 18, 2004/वैशाख 28, 1926  
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 18, 2004/VAISAKHA 28, 1926

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
(स्थापना अनुभाग II)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2004

सा.का.नि. 335(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल और भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' नियम, 1995 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग - 1

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' अभिप्रेत है ;

(ख) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है ;

(घ) "नियमित निरंतर सेवा" से यथास्थिति विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर या आयोग के परामर्श से उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के पश्चात् निरंतर आधार पर की गई सेवा अभिप्रेत है ;

(ड) “अनुसूचित जाति” और “अनुसूचित जनजाति” के वही अर्थ होंगे जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में क्रमशः उन्हें समनुद्दिष्ट किए गए हैं ।

3. केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' का गठन—“सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क'” निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(क) वे व्यक्ति जो जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) नियम, 1995 की केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' में थे ; और

(ख) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में नियुक्ति किए जा सकेंगे ।

4. वर्गीकरण, प्रवर्ग और वेतनमान— (1) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में पद, उनकी संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची 1 में दिए गए हैं ।

(2) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी सरकार,—

(i) समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों में कर्तव्य पदों की संख्या में वृद्धि या परिवर्तन कर सकती है ;

(ii) संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किन्हीं ऐसे पदों को सेवा में सम्मिलित कर सकेगी जो श्रेणी, वेतनमान और वृत्तिक अंतर्वस्तु में सेवा में कर्तव्य पदों के समतुल्य समझे जाएं या सेवा में पहले से सम्मिलित कर्तव्य पद के सेवा से अपवर्जित कर सकेगी ; और

(iii) संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी अधिकारी को खंड (ii) के अधीन सेवा में सम्मिलित कर्तव्य पद पर, समुपचित श्रेणी में अस्थायी क्षमता या अधिष्ठायी क्षमता पर नियुक्त कर सकेगी और उस श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता, श्रेणी में निरंतर नियमित सेवा की गणना में लेने के पश्चात् सदृश श्रेणी में नियत कर सकती है ।

5. सेवा का अनुसूक्षण :— (1) अनुसूची 1 में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में रिक्त पद उस रीति से भरा जाएगा जो इन नियमों में इसके पश्चात् उपबंधित है ।

(2) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) और सहायक कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक) की श्रेणी की सभी रिक्तियां, समय-समय पर आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिश्चित शैक्षिक अर्हताओं और आयु सीमा के आधार पर आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगी ।

(3) सेवा में मुख्य इंजीनियर, अधीक्षण इंजीनियर और कार्यपालक इंजीनियर के पदों पर नियुक्ति प्रोन्नति द्वारा ऐसे अधिकारियों के अपने-अपने (सिविल या यांत्रिकी) अधिकारियों में से की जाएगी जो उन अगली निम्नतर श्रेणियों में से जिन्होंने अनुसूची (II) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा की हो । अपर महानिदेशक और महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव के पदों पर नियुक्ति प्रोन्नति द्वारा ऐसे अधिकारियों में से की जाएगी जिन्होंने अगली निम्नतर श्रेणियों में से अनुसूची (II) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा की हो ।

(4) प्रोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन अनुसूची V में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति के सिफारिश पर किया जाएगा ।

(5) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और आयोग के परामर्श से, किसी भी श्रेणी अधीक्षण इंजीनियर के पद तक के कर्तव्य पद (जो कि कार्यपालक इंजीनियर और अधीक्षण इंजीनियर की श्रेणी में है) को सरकार प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है, भरेगी प्रत्येक मामले में अपेक्षित अर्हताएं, अनुभव पात्रता सेवा, वे स्रोत जिससे अधिकारियों को लिया जाएगा और वह अवधि जिसके लिए उनकी नियुक्ति होगी, अनुसूची III में विनिर्दिष्ट है।

(6) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और आयोग के परामर्श से कार्यपालक इंजीनियर की श्रेणी के कर्तव्य पद को सीधी भर्ती द्वारा भरेगी, ऐसी भर्ती के लिए अर्हताएं, अनुभव और उससे संबंधित अन्य मामले अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट होंगे।

6. परिवीक्षा - (1) सहायक कार्यपालक इंजीनियर की श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति होने पर प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु नियंत्रक प्राधिकारी, सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकेगा।

परन्तु यह और कि परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने का विनिश्चय प्रारंभिक परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के तुरंत पश्चात् और सामान्यतः या आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और संबंधित अधिकारी को इसकी संसूचना ऐसा करने के लिए लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों सहित उक्त अवधि के भीतर दी जाएगी।

(2) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार की अवधि की समाप्ति पर, इस अधिकारी को यदि स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य समझा जाए तो, सरकार के विद्यमान आदेशों के अनुसार पद पर पुष्टि की जाएगी।

(3) यदि यथास्थिति परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान सरकार की यह राय है कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है तो, सरकार उस अधिकारी को, यथास्थित सेवा मुक्त कर सकती है या उस सेवा में नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रत्यावर्तित कर सकेगी।

(4) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, सरकार अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करें या ऐसी परीक्षा या परीक्षण उत्तीर्ण करे जिसे सरकार परिवीक्षा के समाधानप्रद रूप में पूरा करने की शर्त के रूप में उचित समझे।

(5) परिवीक्षा के संबंधित अन्य विषयों के संबंध में, सेवा के सदस्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों से शासित होंगे।

7. सेवा नियुक्ति - सेवा के विभिन्न श्रेणी के कर्तव्य पदों पर सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएंगी।

8. तैनाती - सेवा में नियुक्ति किए गए सभी अधिकारी भारत में या विदेश में कहीं पर सेवा करने के दायित्वाधीन होंगे।

9. रक्षा सेवाओं या रक्षा से संबंधित पदों पर सेवा के लिए दायित्व-सेवा में नियुक्ति कोई अधिकारी, यदि ऐसा अपेक्षित हो, किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा सेवा से संबंधित पद पर चार वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए सेवा करने के लिए दायी होगा जिसमें प्रशिक्षण में व्यतीत अवधि भी है, यदि कोई हो :

परन्तु ऐसे अधिकारी से सेवा में नियुक्ति की तारीख या सेवा के प्रारंभिक गठन से पूर्व उसकी नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पूर्वोक्त सेवा किए जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या यदि उसने चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।

10. निरर्हताएं : वह व्यक्ति, -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

11. शिथिल करने की शक्ति :

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

12. व्यावृत्ति :

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

13. निर्वचन :

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय आयोग के परामर्श करके सरकार द्वारा किया जाएगा ।

14. अवशिष्ट मामले - इन नियमों या तदधीन बनाए गए या जारी किए गए किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप से न आने वाले मामलों के संबंध में सेवा के सदस्य, अन्य केन्द्रीय सेवाओं को साधारणतया लागू नियमों द्वारा शासित होंगे ।

## अनुसूची I

(नियम 4(1) देखिए)

केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पदों के नाम, संख्या और वेतनमान

क्रम सं.	पदों की श्रेणी और वर्गीकरण	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
<b>भाग 1 सिविल इंजीनियरी</b>			
(i)	महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव, भारत सरकार	1*(2003)	26000रू. (नियत)
(ii)	अपर महानिदेशक	2*(2003)	22400-525-24,500रू.
(iii)	मुख्य इंजीनियर (सिविल)	15*(2003)	18,400-500-22400रू.
(iv)	अधीक्षण इंजीनियर (सिविल)	53*(2003)	14,300-400-18300रू.
(v)	कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	**	12000-375-16500रू.
(vi)	कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	80*(2003) @	10,000-325-15,200रू.
(vii)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	39*(2003)	8000-275-13500रू.
<b>भाग 2 यांत्रिक इंजीनियर</b>			
(i)	मुख्य इंजीनियर (यांत्रिक)	1*(2003)	18,400-500-22400रू.
(ii)	अधीक्षण इंजीनियर (यांत्रिक)	7*(2003)	14,300-400-18300रू.
(iii)	कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक) (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	**	12000-375-18500रू.
(iv)	कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक)	7*(2003) @	10,000-325-15,200रू.
(v)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक)	3*(2003)	8000-275-13500रू.

\* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

@ 12000-375-16500रू. के वेतनमान वाले पदों में अकृत्यिक चयन श्रेणी पद भी सम्मिलित हैं।

\*\* अकृत्यिक श्रेणी, पदों की संख्या, ज्येष्ठ कर्तव्य पद के 30 प्रतिशत के बराबर होगी (अर्थात् 10,000-15,200रू. और अधिक के वेतनमान वाले पदों में)।

टिप्पण 1 : ऐसे नियमित अधीक्षण इंजीनियर, जिन्होंने कार्यपालक इंजीनियर की श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की हो, 14,300-400-18300रू. के वेतनमान के स्थान पर होंगे।

टिप्पण 2 : 12000-16500रू. के वेतनमान के अकृत्यिक चयन श्रेणी के कार्यपालक इंजीनियरों को विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर भविष्यलक्षी रूप से लागू होंगे। ऐसे समय तक कार्यपालक इंजीनियर का पद विद्यमान नियमित पदधारी अकृत्यिक चयन श्रेणी में 12000-16500रू. के वेतनमान में नियुक्त हुए हैं। निर्धारित प्रक्रिया के शोध विचार के पश्चात्, वे केवल 10000-15200रू. के कृत्यिक श्रेणी के हकदार होंगे।

अनुसूची 2  
(नियम 5(3) देखिए)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पदों पर प्रोन्नति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अगली निम्न श्रेणी में भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा—

क्रम सं.	श्रेणी या कर्तव्य पद	भर्ती की संख्या	प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा और चयन का क्षेत्र
1	2	3	4
(i)	महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव (26000रू. नियत)	चयन आधार पर प्रोन्नति	केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' का ऐसा अपर महानिदेशक (22400-525-24,500रू.) जिसने न्यूनतम दो वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के अपर महानिदेशक और मुख्य इंजीनियर (18400-500-22400रू.) की श्रेणी में पांच वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो।
(ii)	अपर महानिदेशक (22400-525-24,500रू.)	चयन आधार पर प्रोन्नति	केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के मुख्य इंजीनियरी (सिविल/ यांत्रिक) (18400-500-22400रू.) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।
<b>भाग 1 सिविल इंजीनियरी</b>			
(iii)	मुख्य इंजीनियर (सिविल) (18400-500-22400रू.)	चयन आधार पर प्रोन्नति	ऐसा अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) जिसने (14300-400-18300रू.) की श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।
(iv)	अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) (14300-400-18300रू.)	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (चयन के आधार पर प्रोन्नति)	ऐसा कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) (10000-325-15200रू.), जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो, नियमित सेवा के साथ, यदि कोई अकृत्यिक श्रेणी (अर्थात् 12,000-375-16500रू.) का कार्यपालक इंजीनियर की श्रेणी में, का हो।

(1)	(2)	(3)	(4)
(v)	कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) (अकृत्यिक चयन श्रेणी) (12000-375-16500रू.)	अचयन के आधार पर प्रोन्नति	ऐसा कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) (10000-325-15200रू.), जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की हो।
(vi)	कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) (10000-325-15200रू.)	चयन आधार पर प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	(i) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) की श्रेणी में से पचासी प्रतिशत जिसने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ऐसे सहायक इंजीनियर (सिविल) में से पन्द्रह प्रतिशत जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से सिविल इंजीनियरी में डिग्री रखते हो।
(vii)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) (8000-275-13500रू.)	आयोग द्वारा संचालित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	

## भाग 2 यांत्रिक इंजीनियरी

(i)	मुख्य इंजीनियर (यांत्रिक) (18400-500-22400रू.)	चयन के आधार पर प्रोन्नति	ऐसे अधीक्षण इंजीनियर (यांत्रिक) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।
(ii)	अधीक्षण इंजीनियर (यांत्रिक) (14300-400-18300रू.)	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (चयन आधार पर प्रोन्नति)	ऐसे कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक), जिन्होंने कार्यपालक इंजीनियर की श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा पूरी की हो, नियमित सेवा के साथ यदि कोई अकृत्यिक श्रेणी का कार्यपालक इंजीनियर (12000-375-16500रू.) के वेतनमान में हो।

(1)	(2)	(3)	(4)
(iii)	कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक) (अकृत्यिक चयन श्रेणी) (12000-375-16500रू.)	अचयन के आधार प्रोन्नति	ऐसा कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक) (10000-325-15200रू.), जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की हो।
(vi)	कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक) (10000-325-15200रू.)	चयन आधार पर प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे सहायक कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक) जिसने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो।
(v)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक) (8000-275-13500रू.)	आयोग द्वारा संचालित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	सरकार/ आयोग द्वारा परीक्षा में प्रवेश के लिए नियमों/ विनियमों और शर्तों समाचार पत्रों/ रोजगार समाचार में समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो,



## अनुसूची 3

[नियम 5(5) देखिए]

प्रतिनियुक्ति के स्रोत (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रतिनियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव

क्रम सं.	पद का नाम	भर्ती के लिए पात्रता
(1)	(2)	(3)
1.	कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) (10000-325-15200रू.)	केन्द्र/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों/ विश्वविद्यालयों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ लोक उपक्रमों/ अर्ध सरकारी/ स्वायत्त और कानूनी संगठनों के अधिकारी जो :- (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो ; या (ii) 8000-275-13500रू. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ; या (iii) 6500-200-10500रू. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो ; और  (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य रखता हो ; और (ii) राजमार्गों के परिकल्पना/ सन्निर्माण में पांच वर्ष का अनुभव ।
2.	कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक) (10000-325-15200रू.)	केन्द्र/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों/ विश्वविद्यालयों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ लोक उपक्रमों/ अर्ध सरकारी/ स्वायत्त और कानूनी संगठनों के अधिकारी जो :- (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो ; या (ii) 8000-275-13500रू. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ; या (iii) 6500-200-10500रू. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो ; और  (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यथास्थिति इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य रखता हो ; और (ii) राजमार्गों के सन्निर्माण में प्रयुक्त मशीनरी के प्रचालन/ अनुरक्षण के संबंध में पांच वर्ष का अनुभव ।
3.	अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) (14300-400-18300रू.)	केन्द्र/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों/ विश्वविद्यालयों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ लोक उपक्रमों/ अर्ध सरकारी/ स्वायत्त और कानूनी संगठनों के अधिकारी जो :- (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो ; या (ii) 12000-16500रू. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ; या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य रखता हो ; और

(ii) राजमार्गों के परिकल्पना/ सन्निर्माण में दस वर्ष का अनुभव ।

4. अधीक्षण इंजीनियर (यांत्रिक)  
(14300-400-18300रू.) केन्द्र/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों/ विश्वविद्यालयों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ लोक उपक्रमों/ अर्ध सरकारी/ स्वायत्त और कानूनी संगठनों के अधिकारी जो :-

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो ; या  
(ii) 12000-16500रू. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ; या  
(iii) 10000-15200रू. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ; या

(ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य रखता हो ।  
(ii) राजमार्गों के सन्निर्माण में प्रयुक्त मशीनरी के प्रचालन/ अनुरक्षण के संबंध में दस वर्ष का अनुभव ।

#### अनुसूची IV

[ नियम 5 (6) देखिए ]

कार्यपालक इंजीनियर के पद भी सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता और अनुभव

क्रम सं.	पद का नाम	भर्ती के लिए पात्रता
(1)	(2)	(3)

1. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) आयु सीमा : 40 वर्ष से अनधिक ।  
टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं ।  
टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)  
अर्हताएं :  
आवश्यक : क. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य ;

ख. अनुभव : राजमार्गों के परिकल्पना/ सन्निर्माण में पांच वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

2. कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक)

आयु सीमा : 40 वर्ष से अनधिक ।

टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं ।

टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

अर्हताएं :

आवश्यक : क. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य ;

ख. अनुभव : राजमार्गों के सन्निर्माण में प्रयुक्त मशीनरी के प्रचालन/ अनुस्क्षण के संबंध में पांच वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2 - अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

## अनुसूची V

[ नियम 5(4) देखिए ]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' सेवा में समूह 'क' पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना।

क्रम सं.	पद का नाम	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता
2.	अपर महानिदेशक	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय - सदस्य 3. महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव -सदस्य	लागू नहीं होता
3.	मुख्य इंजीनियर (सिविल या यांत्रिक)	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय - सदस्य 3. महानिदेशक (सड़क विकास और विशेष सचिव) -सदस्य	लागू नहीं होता
4.	अधीक्षण इंजीनियर (सिविल या यांत्रिक)	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. महानिदेशक, (सड़क विकास) और विशेष सचिव - सदस्य 3. अपर महानिदेशक -सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	
5.	कार्यपालक इंजीनियर (सिविल या यांत्रिक) (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	1. महानिदेशक (सड़क विकास) व विशेष सचिव 2. अपर महानिदेशक या मुख्य इंजीनियर 3. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन)	-अध्यक्ष -सदस्य -सदस्य	लागू नहीं होता
6.	कार्यपालक इंजीनियर (सिविल या यांत्रिक)	सहायक कार्यपालक इंजीनियरों में से प्रोन्नति के लिए : 1. महानिदेशक (सड़क विकास) व विशेष सचिव 2. अपर महानिदेशक या मुख्य इंजीनियर 3. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन)	-अध्यक्ष -सदस्य -सदस्य	लागू नहीं होता
		सहायक इंजीनियर के समूह 'ख' पदों में से प्रोन्नति के लिए : 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग 2. अपर महानिदेशक या मुख्य इंजीनियर 3. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन)	-अध्यक्ष -सदस्य -सदस्य	लागू नहीं होता
7.	सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल या यांत्रिक)	1. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2. महानिदेशक (सड़क विकास) व विशेष सचिव 3. अपर महानिदेशक या मुख्य इंजीनियर 4. अधीक्षण इंजीनियर (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधि)	-अध्यक्ष -सदस्य -सदस्य -सदस्य	लागू नहीं होता

[ फा. सं. ए-12018/1/2001-स्था. II ]

आलोक सक्ता, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

(Establishment II Section)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th May, 2004

**G.S.R. 335 (E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Ministry of Surface Transport (Roads Wing) Central Engineering Service (Roads) Group 'A' Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely:-

**PART-I**

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways, Central Engineering Service (Roads) Group 'A' Rules, 2003;.

(2) They shall be deemed to have come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**-In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Service" means the Central Engineering Service (Roads) Group 'A' constituted under rule 3 of these rules;
- (b) "Commission" means the Union Public Service Commission;
- (c) "Government" means the Government of India;
- (d) "Regular Continuous Service" means service rendered on continuous basis after regular appointment to a grade on the recommendations of the Departmental Promotion Committee or in consultation with the Commission, as the case may be;
- (e) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meanings as are assigned to them in clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution;

**3. Constitution of the Central Engineering Service (Roads) Group 'A'.-** The "Ministry of Road Transport and Highways, Central Engineering Service (Roads) Group 'A'" shall consist of —

- (a) persons who were in the Ministry of Surface Transport (Roads Wing) Central Engineering Service (Roads) Group 'A' Rules, 1995; and
- (b) persons who may be appointed to Service after commencement of these rules.

**4. Classification, categories and scales of pay.-** (1) The posts in various grades of the Service, their number, classification and pay scales are given in Schedule I appended to these rules.

(2) Notwithstanding anything contained in sub rule (1), the Government may, -

- (i) make additions or alterations to the number of duty posts in various grades from time to time;
- (ii) include in the service, in consultation with the Commission, such posts as may be deemed to be equivalent to the duty posts in the service in grade, pay scale and professional content or exclude from the service a duty post already included in the service; and
- (iii) appoint, in consultation with the Commission, an officer to a duty post included in the Service under clause (ii), to the appropriate grade in a temporary capacity or in a substantive capacity and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade;

**5. Maintenance of the service.-** (1) The vacant posts in any of the grades referred to in Scheduled – I shall be filled in the manner hereinafter provided in these rules.

(2) All vacancies in the grade of Assistant Executive Engineer (Civil) and Assistant Executive Engineer (Mechanical) shall be filled by direct recruitment on the basis of the results of the Combined Engineering Services Examinations conducted by the Commission, on the basis of educational qualifications and age limits decided for this purpose from time to time.

(3) Appointments in the Service to the posts of Chief Engineer, Superintending Engineer and Executive Engineer shall be made by promotion from amongst the officers of the respective discipline (Civil or Mechanical) in the next lower grade with minimum qualifying service as specified in Schedule II. Appointment to the posts of Additional Director General and Director General (Roads Development) and Special Secretary shall be made by promotion from amongst the officers in the next lower grade (s) with minimum qualifying service as specified in Schedule II.

(4) The selection of officers for promotion shall be made on the recommendation of a Departmental Promotion Committee as specified in Schedule V.

(5) Notwithstanding anything contained in this rule, where the Government is of the opinion that, it is necessary or expedient so to do, it may for reasons, to be recorded in writing and in consultation with the Commission, **fill a duty post in any grade upto the post of Superintending Engineer (that is in the grades of Executive Engineer and Superintending Engineer) by deputation including short term contract.** The qualifications, experience and eligibility service required in each case, the sources from which the officers will be taken and the period for which they will be appointed are specified in Schedule III.

(6) Notwithstanding anything contained in this rule, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, fill a duty post in the grade of Executive Engineer by direct recruitment, the qualifications, experience and other matters concerning such recruitment shall be specified in Schedule IV.

**6. Probation.-** (1) Every officer on appointment to the Service by direct recruitment in the grade of Assistant Executive Engineer shall be on probation for a period of two years;

Provided that the controlling authorities may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this regard.

Provided further that any decision for extension of probation period shall be taken immediately after the expiry of the initial period of probation and ordinarily within eight weeks and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of the probation or any extension thereof, the officer shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed in terms of the extant orders of the Government.

(3) If during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, it may discharge the officer or revert to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof, an officer may be required by the Government to undergo such courses of training or pass such examinations or tests as the Government may deem fit as condition for satisfactory completion of probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service will be governed by the orders or instructions, issued by the Government in this regard from time to time.



**7. Appointment to the Service.-** All appointments shall be made by the Government in the duty posts in various grades of the service.

**8. Posting.-** Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

**9. Liability to serve in Defence Services or posts connected with the Defence.-** Any officer appointed to the Service, if so required, shall be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training, if any;

Provided that such officer shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment to the service or from the date of his joining prior to the initial constitution of service or if he has attained the age of forty years.

**10. Disqualifications.-**No person,-

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**11. Powers to relax.-** Where the government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**12. Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations in age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

**13. Residuary matters.-** In regard to matters not specifically covered by these rules or any general, or special orders made or issued there under, the members of the Service shall be governed by rules applicable to other Central Services in general.

**14. Interpretation.-**If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Government in consultation with the Commission.

**SCHEDULE I**

[See Rule 4(1)]

**Name, number and scale of pay of duty posts included in various grades of Central Engineering Service (Roads) Group 'A'**

Serial number	Grade and classification of posts	Number of posts*	Scale of pay
1	2	3	4
<b>Part I Civil Engineering</b>			
(i)	Director General (Road Development) and Special Secretary to the Govt. of India	1*(2003)	Rs. 26000(fixed)
(ii)	Additional Director General	2*(2003)	Rs. 22400-525-24,500
(iii)	Chief Engineer (Civil)	15*(2003)	Rs. 18,400-500-22400
(iv)	Superintending Engineer (Civil)	53*(2003)	Rs. 14300-400-18300
(v)	Executive Engineer (Civil) (Non Functional Selection Grade)	**	Rs. 12000-375-16500
(vi)	Executive Engineer (Civil)	80*(2003)@	Rs. 10000-325-15200
(vii)	Assistant Executive Engineer (Civil)	39*(2003)	Rs. 8000-275-13500
<b>Part II Mechanical Engineers</b>			
(i)	Chief Engineer (Mechanical)	1*(2003)	Rs.18400-500-22400/-
(ii)	Superintending Engineer (Mechanical)	7*(2003)	Rs. 14300-400-18300
(iii)	Executive Engineer (Mechanical) (Non Functional Selection Grade)	**	Rs. 12000-375-16500
(iv)	Executive Engineer (Mechanical)	7*(2003)@	Rs.10,000-325-15200
(v)	Assistant Executive Engineer (Mechanical)	3*(2003)	Rs. 8000-275-13500

\*Subject to variation dependent on workload.

@Include also the Non Functional grade posts in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500.

\*\*The number of posts in Non Functional Grade, shall be restricted to 30% of the senior duty posts (i.e. posts in the pay scale of Rs.10000-15200 and above.)

**Note I:** Regular Superintending Engineers, who had completed 09 years of regular service in the grade of Executive Engineer will be placed in the scale of Rs.14300-18300/-.

**Note 2:** The pay scale of Rs.12000-16500/- to Non Functional Selection Grade to Executive Engineers will be applicable prospectively based on the recommendations of Departmental Promotion Committee. Till such time as the existing regular incumbents of the post of Executive Engineer are appointed to the Non Functional Selection Grade in the pay scale of Rs.12000-16500/- after due observance of the prescribed procedure, they shall be entitled only to functional grade of Rs.10000-15200/-.

### SCHEDULE II

[See Rule 5(3)]

Method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in various grades of the Central Engineering Service (Roads) Group 'A' of the Ministry of Road Transport and Highways:

Serial number	Grade or duty posts	Method of recruitment	Field of selection and minimum qualifying service for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	Director General (Road Development) and Special Secretary (Rs. 26000 fixed)	Promotion on Selection basis	Additional Director General (Rs.22400-525-24500) of the Central Engineering Service (Roads) Group 'A' with minimum 2 years of regular service failing which 5 years combined regular service in the grades of Additional Director General and Chief Engineer (Rs.18400-500-22400) of the Central Engineering Service (Roads) Group 'A'.
(ii)	Additional Director General (Rs.22400-525-24500)	Promotion on Selection basis	Chief Engineers (Civil/Mechanical) (Rs.18400-500-22400) of the Central Engineering Service (Roads) Group 'A' with 3 years of regular service in the grade.
<b>Part I Civil Engineering</b>			
(iii)	Chief Engineer (Civil) (Rs.18400-500-22400)	Promotion on Selection basis	Superintending Engineers (Civil) (Rs.14300-400-18300) with 3 years of regular service in the grade.
(iv)	Superintending Engineer (Civil) (Rs.14300-400-18300)	Promotion, failing which by deputation (Promotion on Selection basis)	Executive Engineers (Civil) (Rs.10000-325-15200), who have completed 9 years of regular service in the grade, including regular service, if any, rendered in the non functional grade of the Executive Engineer in the grade (i.e. pay scale of Rs.12000-375-16500).

(1)	(2)	(3)	(4)
(v)	Executive Engineer (Civil) (Non Selection Grade) (12000-375-16500)	Promotion on Non-selection basis	Executive Engineers (Civil) (Rs. 10000-325-15200) with 5 years of regular service in the grade.
(vi)	Executive Engineer (Civil) (10000-325-15200)	Promotion on Selection basis failing which by deputation, failing which by direct recruitment.	(i) 85% from the grade of Assistant Executive Engineer (Civil) with 4 years' regular service in the grade. (ii) 15% from amongst Assistant Engineer (Civil) of the Ministry of Road Transport & Highways with 8 years' regular service in the grade and having degree in Civil Engineering from a recognized University/Institution.
(vii)	Assistant Executive Engineer (Civil) (Rs.8000-275-13500)	By Direct Recruitment through the Engineering Service Examination Conducted by the Commission.	

**Part II Mechanical Engineering**

(i)	Chief Engineer (Mechanical) (Rs.18400-500-22400/-)	Promotion on Selection basis	Superintending Engineer (Mechanical) with 3 years regular service in the grade.
(ii)	Superintending Engineer (Mechanical) (Rs.14300-400-18300)	Promotion, failing which by deputation (Promotion on Selection basis)	Executive Engineers (Mechanical), who have completed 9 years of regular service in the grade of Executive Engineer, including regular service, if any, rendered in the non functional grade of the Executive Engineer in the grade (i.e. pay scale of Rs.12000-375-16500).

(1)	(2)	(3)	(4)
(iii)	Executive Engineer (Mechanical) (Non Functional Selection Grade) (12000-375-16500)	Promotion on Non-selection basis	Executive Engineer (Mechanical) (Rs. 10000-325-15200) with 5 years of regular service in the grade.
(iv)	Executive Engineer (Mechanical) (10000-325-15200)	Promotion on Selection basis failing which by deputation, failing which by direct recruitment.	Assistant Executive Engineer (Mechanical) with 4 years of regular service in the grade.
(v)	Assistant Executive Engineer (Mechanical) (Rs.8000-275-13500)	By Direct Recruitment through the Engineering Service Examination Conducted by the Commission.	The Rules/Regulations and conditions for admission to the Exam will be as notified by the Government/Commission in the Newspapers/Employments News from time to time.

**Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

**SCHEDULE III**

[See Rule 5 (5)]

Source of deputation (including short term contract) and the requirement of qualification and experience for the deputation.

Serial Number	Name of the post	Eligibility Requirement
(1)	(2)	(3)
1.	Executive Engineer (Civil) (Rs.10000-325-15200)	Officers of the Central/State Governments/Union Territories / Universities / Recognised Research Institutions/ Public Sector Undertakings /Semi Government/Statutory or Autonomous Organizations: -  (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or  (ii) with 5 years of regular service in posts in the pay scale of Rs. 8000-275-13500 or equivalent; or  (iii) with 8 years of regular service in posts in the pay scale of Rs.6500-200-10500 or equivalent; and  (b) (i) possessing a degree in Civil Engineering from a recognized University or equivalent; and (ii) 5 years of experience in design/construction of Highways.
2.	Executive Engineer (Mechanical) (Rs.10,000-325-15200)	Officers of the Central/State Governments/Union Territories / Universities / Recognised Research Institutions / Public Sector Undertakings /Semi Government/Statutory or Autonomous Organizations: -  (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or  (ii) with 5 years of regular service in posts in the pay scale of Rs.8000-275-13500 or equivalent; or  (iii) with 8 years of regular service in the posts in the pay scale of Rs.6500-200-10500 or equivalent; and  (b) (i) possessing a degree in Mechanical Engineering as the case may be from a recognized University or equivalent; and (ii) 5 years of experience in connection with operation/maintenance of the Machinery used in construction of Highways.

(1)	(2)	(3)
3.	Superintending Engineer (Civil) (Rs.14300-400-18300)	<p>Officers of the Central/State Governments/Union Territories / Universities /Recognised Research Institutions / Public Sector Undertakings /Semi Government/Statutory or Autonomous Organizations: -</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with 5 years of regular service in posts in the pay scale of Rs. 12000-16500 or equivalent; or</p> <p>(iii) with 10 years of regular service in posts in the pay scale of Rs.10000-15200 or equivalent; and</p> <p>(b) (i) possessing a degree in Civil Engineering from a recognized University or equivalent; and</p> <p>(ii) 10 years of experience of designs/construction of Highways.</p>
4.	Superintending Engineer (Mechanical) (Rs.14300-400-18300)	<p>Officers of the Central/State Governments/Union Territories/ Universities / Recognised Research Institutions / Public Sector Undertakings / Semi Government/Statutory or Autonomous Organizations: -</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with 5 years of regular service in posts in the pay scale of Rs. 12000-16500 or equivalent; or</p> <p>(iii) with 10 years of regular service in posts in the pay scale of Rs.10000-15200 or equivalent and</p> <p>(b) (i) possessing a degree in Mechanical Engineering from a recognized University or equivalent; and</p> <p>(ii)10 years of experience in connection with operation/maintenance of Machinery used in construction of Highways.</p>

**SCHEDULE IV**

[See Rule 5-(6)]

Educational qualifications and Experience for direct recruitment to the post of Executive Engineer: -

Serial Number	Name of the post	Eligibility for recruitment
(1)	(2)	(3)

1.	Executive Engineer (Civil)	Age Limits: Age not exceeding 40 years.
----	-------------------------------	---

Note 1: Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions orders issued by the Central Govt.

Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshdweep.

**Qualifications:**

**Essential:** A. degree in Civil Engineering from a recognized University or equivalent;

B. **Experience:** 5 years of experience of designs/construction of highways

Note 1: Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is /are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.



Serial Number	Name of the post	Eligibility for recruitment
(1)	(2)	(3)

2.	Executive Engineer (Mechanical)	Age Limits: Age not exceeding 40 years.
----	------------------------------------	---

Note 1: Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions orders issued by the Central Govt.

Note 2: The crucial date for determining the age -limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshdweep.

**Qualifications:** A. Degree in Mechanical Engineering from a recognized University or equivalent;

B. **Experience:** 5 years of experience in connection with operation or maintenance of Machinery used in construction of Highways.

Note 1: Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is /are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

1587 21/24

**SCHEDULE V**

[See Rule 5 (4)]

Composition of Departmental Promotional Committee for Group 'A' posts in the Central Engineering Service (Roads) Group 'A' of the Ministry of Road Transport and Highways.

Serial Number	Name of the post	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for Promotion)	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Director General (Road Development) and Special Secretary	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways - Member	Not applicable
2.	Additional Director General	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways - Member 3. Director General (Road Development) and Special Secretary - Member	Not applicable
3.	Chief Engineer (Civil or Mechanical)	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways - Member 3. Director General (Road Development) and Special Secretary - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Superintending Engineer (Civil or Mechanical)	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Director General (Road Development) and Special Secretary - Member 3. Additional Director General - Member	Not applicable
5.	Executive Engineer (Civil or Mechanical) (Non Functional Selection Grade)	1. Director General (Road Development) and Special Secretary - Chairman 2. Additional Director General or Chief Engineer - Member 3. Director or Deputy Secretary (Administration) - Member	Not applicable
6.	Executive Engineer (Civil or Mechanical)	For promotion from amongst Assistant Executive Engineers: 1. Director General (Road Development) and Special Secretary - Chairman 2. Additional Director General or Chief Engineer - Member 3. Director or Deputy Secretary (Administration) - Member  For promotion from Group 'B' posts of Assistant Engineers: 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Additional Director General or Chief Engineer - Member 3. Director or Deputy Secretary (Administration) - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Assistant Executive Engineer (Civil or Mechanical)	1. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways - Chairman  2. Director General (Road Development) and Special Secretary - Member  3. Additional Director General or Chief Engineer - Member  4. Superintending Engineer (representative of SC/ST community) - Member	Not applicable

[F. No. A-12018/1/2001-E II]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.